रजिस्ट्री सं. डी. एल.--33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 461] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 10, 1995/कार्तिक 19, 1917
No. 461] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 10, 1995/KARTIKA 19, 1917

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1995

सा.का.नि. 735(अ)--केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 37 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो (महानिदेशक की नियुक्ति, सेवा के निबंधन और शर्तें) नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (महानिदेशक की नियुक्ति, सेवा के निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय मानक ब्यूरो (महानिदेशक की नियुक्ति, सेवा के निबंधन और शर्तें) नियम, 1987 में, नियम 4 के लिये निम्नांकित नियम को प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात् :--

"4. पदावधि--(1) महानिदेशक तीन वर्ष की अवधि के लिये या जब तक वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होगा :

परन्तु यह कि जहां केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले महानिदेशक की पुनर्नियुक्ति ब्यूरो के हित में है तो वह उसे दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिये पुनर्नियुक्त कर सकती है।"

[संख्या 6(6)/87 बी आई एस]
राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Civil Supplies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 1995

G.S.R. 735(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 37 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Bureau of Indian Standards (Appointment, Terms and Conditions of Service of Director-General) Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called Bureau of Indian Standards (Appointment, Terms and Conditions of Service of Director-General) Amendment, Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Indian Standards (Appointment, Terms and Conditions of Service of Director-General) Rules, 1987, for rule 4 of the following rule shall be substituted namely :—

"4. Term of office.—The Director-General shall hold office for a term of three years or until he attains the age of sixty years, whichever is earlier, and shall be eligible for re-appointment :

Provided that where the Central Government is satisfied that the re-appointment of an outgoing Director-General after he has attained the age of sixty years is in the interest of the Bureau, it may re-appoint him for a period not exceeding two years.".

[No. 6(6)/87-BIS]
RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995